	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आश्विन 12, शुक्रवार, *शाके* 1941–अक्टूबर 4, 2019 *Asvina 12, Friday, Saka 1941–October 4, 2019*	

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपुर

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, जालोर

प्रपत्र-09

(धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन योजना का घोषणा एवं सार)

नियम 21 के उप नियम (1)

घोषणा

जालौर, सितम्बर 26, 2019

संख्या: प-7(338)एसएचए/पीपीपी/2018-19/डी-1005 :-राजस्थान सरकार को यह प्रतित होता है कि अनुसूची की सम्बद्ध सारणी में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ग्राम-डांगरा तहसील-जालोर, जिला-जालोर में बाड़मेर-सिणधरी-सायला-बिशनगढ़-जालोर (राज्य राजमार्ग संख्या-16) सड़क परियोजना के लिए आवश्यक है।

अतः एतदद्वारा घोषणा किया जा रहा है कि मानक माप के अनुसार ग्राम डांगरा में कुल 0.3300 हेक्टेयर निजी भूमि के खण्डों का उपरोक्त परियोजना के लिए सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु अधिग्रहण किया जाना है, जिसका विस्तार विवरण निम्न सूची के अनुसार है।

जिला	तहसील	ग्राम	निजी भू-खण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सरकारी भू-खण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
जालोर	जालोर	डांगरा	3	0.3300	0	0.0000
		कुल	**3**	**0.3300**	**0**	**0.0000**

यह घोषणा भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2103) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 15 के प्रावधानों के तहत हितबद्ध व्यक्तियों/खातेदारों से उक्त भूमि के अधिग्रहण के संबंध में प्राप्त आपतियों को सुनने, जाँचने एवं उनके निस्तारण करने के उपरान्त की गई है

इस भू-अर्जन के कारण पुनर्वासन होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है।

कोयला, लौहा-पत्थर स्लेट या अन्य खनिजों की खादानों के होने की स्थिति में उपरोक्त भूमि के किसी विशेष हिस्से जिनकी खानों और खनिज जिनको खोदा जाना आवश्यक हो सकता है के ऐसे भागों को छोड़ कर/निकालकर परियोजना के निर्माण चरण के दौरान भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी भूमि का ही अधिग्रहण किया जा सकता है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण/अवलोकन भूमि आवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, जालोर, जिला जालोर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस पर किया जा सकता है।

प्रस्तावित भूमि अर्जन से किसी भी प्रभावित खातेदार/परिवार का विस्थापन निहीत नहीं है।

अथवा

उक्त परियोजना के पुनर्वासन योजना प्रस्ताव शून्य होने से प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों का पुनर्वासित किया जाना प्रस्तावित नहीं है, परियोजना प्रतिवेदन का अवलोकन भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जालोर, जिला जालोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्य का नामः- राज्य राजमार्ग बाड़मेर-सिणधरी-सायला-बिशनगढ़-जालोर (एस0एच0-16) का विकास/निर्माण कार्य स्थल विवरण पत्र का प्रारूप-09,

ग्राम - डांगरा

क्र. सं.	खसरा सं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का किस्म	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	हितबद्ध पक्षकार का नाम एवं पता	सीमा (खसरा सं0)				पेड़		संरचना	
						उ0	द0	पू0	प0	किस्म	सं0	किस्म	प्लीन्थ क्षेत्रफल
1	114/995	निजी	बारानी सोयम	0.0600	पूनम सिंह वल्द हरी सिंह, पवनी पत्नी हेमता रसाल कंवर, मंजू कंवर पुत्रीगण हेमताजी जाति रावणा राजपूत सा. देह	117/994	113	सड़क	114/995 का शेष भाग	-	-	अर्द्ध पक्का खपरैल मकान व पानी का टैंक	12 वर्ग मी. व 01
2	117/994	निजी	बारानी उत्तम A	0.1300	डायाराम व शंकरलाल पुत्रगण नरसाराम, सटकी पत्नी नरसाराम जाति मेगवंशी सा. देह	996	117/994	सड़क	117/994 का शेष भाग	-	-	-	-
3	101	निजी	चाही सोयम	0.1400	रामसिंह, हड़मतसिंह, पहाड़सिंह पुत्रगण धनसिंह, रुपसिंह वल्द तीकमसिंह, कलसिंह, मदनसिंह	101 का शेष भाग	101 का शेष भाग व सड़क	101 का शेष भाग	सड़क	नीम कट बावड़िया बबूल खेजड़ी	12117	-	-

					पुत्रगण दुर्गसिंह जाति राजपूत सा. देह								

मनवर अली,
उप सचिव,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

Government Central Press, Jaipur.